न्यायालय अति. जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

निगरानी संख्या :– 15/2020

रामधन गुर्जर श्री नानगराम गुर्जर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निगरानीकर्त्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जरिये ग्राम पंचायत मनोहरपुर जिला जयपुर
2. स्थायी समिति प्रशासन व स्थापना पंचायत समिति शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
3. सत्यनारायण पारिक निवासी मनोहरपुर जिला जयपुर (फौत)
   3/1 ज्ञान प्रकाश पारीक
   3/2 महेन्द्र प्रकाश पारीक
   3/3 अविनाथ पारीक

गैर निगरानीकर्त्ता

पंचायतराज अधिनियम 1994 की धारा 97 निगरानी विरूद्व निर्णय दिनांक 16/01/2013 ब उनवानी अपील सत्यनारायण पारीक बनाम धोली देवी वगैरह निर्णय दिनांक 16/01/2013 न्यायालय स्थायी समिति प्रशासन व स्थापना पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 23.10.2020

निगरानीकर्त्ता रामधन गुर्जर द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 निगरानी विरूद्व निर्णय 16/01/2013 ब उनवानी अपील सत्यनारायण पारीक बनाम धोली देवी वगैरह द्वारा न्यायालय स्थाई समिति प्रशासन व स्थापना पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय 16/01/2013 के विरूद्व निगरानी पेश की है, जिसमें निगरानीकर्त्ता के वकील ने निम्न तथ्य पेश किये हैं :–

1. यह है कि गैर निगरानीकार संख्या 03 द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 02 के यहा निगरानीकर्त्ता के हक में ग्राम पंचायत मनोहरपुर द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 370 दिनांक 01/6/2010 एवं 21/6/2010 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गयी, जिसमें गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा निगरानीकर्त्ता को अपील की सुनवायी के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं निगरानीकर्त्ता को उक्त अपील में बिना सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये आक्षेपित निर्णय दिनांक 16/01/2013 पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्त्ता द्वारा यह निगरानी पेश की है।
2. यह है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 जिसके अन्तर्गत पंचायत के आदेशों की अपील होती है। उसकी उप धारा 03 के अन्तर्गत उपधारा 02 में निर्दिष्ट स्थाई समिति जिसके विरूद्व अपील की गयी है प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति की सुनवायी के पश्चात् निर्णित करेगी, लेकिन निगरानीकर्त्ता एवं ग्राम पंचायत मनोहरपुर को सुनवायी बाबत, कोई नोटिस जारी नहीं किया है एव ना ही कोई सुनवायी की है। इस प्रकार पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के प्रावधानों को अनदेखी करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि निगरानीकर्त्ता ने पट्टाधारी श्रीमती धोली देवी पत्नी श्री भागीरथमल यादव निवासी इन्द्रा कॉलोनी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा से पुराने कच्चे मकानात् का आवासीय

भूखण्ड दिनांक 07/01/2013 को खरीद किया था, जिसका पंजियन सब रजिस्ट्रार शाहपुरा के यहां पुस्तक संख्या 01 जिल्ड संख्या 193 पृष्ठ संख्या 55 पर पंजिबद्व हुआ है। निगरानीकर्त्ता खरीद समय से ही अपने आवासीय कच्चे भूखण्ड पर निवासी करने लगा तथा कच्ची दिवारों को हटाकर पक्का निर्माण शुरू किया गया तो निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये जाकर प्रार्थी के निर्माण को ध्वस्त कर दिया तथा प्रार्थी फिर से अपना कच्चा निर्माण कर निवास कर रहा है।

4. यह है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा राजनैतिक द्विवेषता के चलतेयह पट्टा निरस्त किया है कि जबकि निगरानीकर्त्ता के साथ–साथ ग्राम पंचायत मनोहरपुर प्रस्ताव संख्या 18 बैठक दिनांक 20/4/2020 को सर्व सम्मति से पूरी कोरम में 40–50 लोगों को पट्टा देने का प्रस्ताव पारित किया था तथा नियमानुसार शुल्क लिया जाकर पट्टा भी जारी किये गये थे तथा गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 03 सत्यनारायण पारीक के प्रार्थन–पत्र केवल एक दिन में ही प्रशासन पंचायत समिति शाहपुरा बिना नोटिस एवं विधिक प्रकिया अपनाकर केवल सेम दिन को ही पट्टा निरस्त कर दिया जो खारिज योग्य है।
5. यह है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा आक्षेपित आदेश में पट्टे में वर्णित भूमि पर यदि अतिकमण कर लिया गया है तो तुरन्त हटाने की कार्यवाही कर पालना से अवगत कराने का निर्देश जारी करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 61 की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थायी समिति अपीलाधीन आदेश या निर्देश को परिवर्तित अपास्त या पुष्ट कर सकती है।
6. यह है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 03 का प्रश्नगत पट्टे या उसकी भूमि के बाबत किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध अधिकार नहीं है गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के यहां अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। इस पर गौर नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित किया है जो गलत है।
7. यह है कि उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्त्ता काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा खरीदशुदा पट्टा की भूमि पर पुख्ता कमरा भी बना रखा है। इस पट्टाशुदा भूमि पर अन्य किसी का कोई सम्बन्ध अधिकार एवं कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है।
8. यह है कि गैर निगरानीकार संख्या 01 ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम में वर्णित समसत विधिक प्रावधानों एवं प्रकिया का पालन करते हुए वस्तु स्थिति का मौका निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट प्राप्त कर नियमानुसार पट्टा 370 दिनांक 21/6/2010 पंचायत के संकल्प संख्या 16 के आधार पर जारी किया गया है। निगरानीकर्त्ता ने जरिये रसीद संख्या 2573 दिनांक 11/6/2010 के द्वारा राशि जमा करायी गयी है तथा नियमानुसार राशि जमा करायी जाने पर निर्माण स्वीकृति जारी की है एवं शौचालय खड्डा हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है तथा नल व विद्युत कनेक्शन हेतु भी निगरानीकर्त्ता को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है।
9. यह है कि ग्राम पंचायत मनोहरपुर के संकल्प संख्या 16 दिनांक 21/6/2010 के आधार पर पट्टा संख्या 370 जारी किया गया है, जिसके काफी लम्बे समय के पश्चात् गैर निगरानीकार संख्या 02 के यहां अपील पेश की है जो प्रथम दृष्टिया ही अपील मियाद बहार है। इस बाबत गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 02 के द्वारा पारित किया गया निर्णय 16/01/2013 में कोई मत प्रति पारित नहीं किया है। इसलिए भी प्रश्नगत आदेश निरस्तनीय है।
10. यह है कि गैर निगरानीकार संख्या 02 के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 16/01/2013 में ग्राम सचिव मनोहरपुर के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गयी, मौके की भूमि आज दिनांक तक खाली होना तथा उस पर निर्माण नहीं होना मानकर निगरानीकर्त्ता के हक में जारी किये गये पट्टे को निरस्त करने का आदेश पारित किया है, जो गलत है। गैर निगरानी संख्या 2 द्वारा ग्राम सचिव को कब मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया तथा मौका निरीक्षण हेतु ग्राम सचिव द्वारा निगरानीकर्त्ता को कोई नोटिस एवं सूचना नहीं दी गयी ना ही निगरानीकर्त्ता के समक्ष कोई मौका निरीक्षण किया गया। इसलिए आक्षेपित निर्णय निरस्तनीय है।
11. गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के द्वारा निगरानीकर्त्ता को यह बताया गया कि आपका पट्टा पंचायत समिति शाहपुरा से निरस्त हो गया है और बेदखल किया जायेगा। उक्त प्रश्नगत आदेश की नकल को प्राप्त करने पर उक्त आदेश की जानकारी हुयी है।
12. उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 19/02/2020 को जानकारी होने पर निगरानी अन्दर मियाद है जो अलग से मियाद अधिनियम दफा–5 का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है। निगरानी देरी के लिए माफ फरमाया जावें। प्रश्नगत प्रकरण श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में है तथा सुनने का

अधिकार है। अतः निगरानी मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 का निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

13. निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये वकील निगरानी पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर नियमानुसार गैर निगरानीकर्त्ता को जरिये सम्मन नोटिस जारी किये बाद सूचना के रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की और से पी. ई.ओ पंचायत समिति शाहपुरा उपस्थित आये। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तल्ब किया गया, जो संलग्न पत्रावली है।

14. गैर निगरानीकर्त्ता फौत होने पर वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र 0 22 आर 4 सीपीसी का पेश किया जो दिनांक 21/8/2020 को स्वीकार हुआ वास्ते तामील नोटिस जारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3(1), 3(2), 3(3) कोई उपस्थित नहीं आये। इसलिए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

15. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि निगरानीकर्त्ता ने पट्टाधारी श्रीमती धोली देवी पत्नी भागीरथमल यादव निवासी इन्द्रा कॉलोनी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा से पुराने कच्चे मकान का आवासीय भूखण्ड दिनांक 07/1/2013 को खरीद किया था जिसका पंजियन सब रजिस्ट्रार के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 193 पृष्ठ संख्या 55 पर पंजिबद्व हुआ है। खरीद समय से ही आवासीय कच्चे मकानात् भूखण्ड पर निगरानीकर्त्ता निवास करता आ रहा है। गैर निगरानीर्त्ता संख्या 2 द्वारा बिना विधिक कार्यवाही अपनाये ही निगरानीकर्त्ता के निर्माण को ध्वस्त करा दिया । निगरानीकर्त्ता फिर से अपना कच्चा पक्का निर्माण कर निवास कर रहा है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 द्वारा राजनैतिक द्विवेस्ता के चलते उक्त पट्टा निरस्त किया है, जबकि ग्राम पंचायत मनोहरपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 18 बैठक संख्या 20/4/2020 को पूरी कोरम में 40–50 लोगों को पट्टा देने का प्रस्ताव पारित किया था तब से नियमानुसार शुल्क लेकर पट्टे जारी किये गये है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 03 के प्रार्थना–पत्र पर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना नोटिस दिये एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाकर केवल एक ही दिन में पट्टे को निरस्त कर दिया। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 03 का कोई सम्बन्ध अधिकार नहीं है तथा गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के यहां अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निगरानीकर्त्ता काबिज रहकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि में पुख्ता कमरा भी बना रखा है। इस पट्टाशुदा भूमि में किसी का कोई सम्बन्ध अधिकार एवं कब्जा नहीं रहा है ना ही वर्तमान में है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 1 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम में वर्णित समस्त विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों की पालना करते हुए मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर पट्टा संख्या 370 दिनांक 21/6/2010 संकल्प संख्या 16 के आधार पर जारी किया गया है। निगरानीकर्त्ता ने जरिये रसीद संख्या 2573 दिनांक 11/6/2010 को राशि जमा करायी है तथा ग्राम पंचायत ने नियमानुसार राशि जमा कर निर्माण स्वीकृती जारी की है। निगरानीकर्त्ता को शौचालय खड्डा हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया है तथा नल बिजली कनेक्शन हेतु भी निगरानीकर्त्ता को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जबकि निगरानीकर्त्ता संख्या 2 के द्वारा दिनांक 16/01/2013 को निर्णय पारित करते समय ग्राम पंचायत मनोहरपुर से कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवायी गयी मौके पर कोई निर्माण नहीं होना तथा भूमि आदिनांक तक खाली होना मानकर निगरानीकर्त्ता के हक में जारी पट्टा को निरस्त करने का निर्णय पारित किया है, जो गलत है। उक्त प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 19/2/2020 को होने से निगरानी अन्दर मियाद पेश है। इसके लिए अलग से मियाद अधिनियम दफा–5 का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है तथा निगरानी को सुनने का अधिकार है। अतः निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 16/01/2013 को अपास्त (निरस्त) किये जाने के आदेश प्रदान करें।

16. निगरानीकर्त्ता संख्या 01 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मनोहरपुर उपस्थित होकर कथन किया कि श्रीमती धोली देवी पत्नी भागीरथमल यादव के पक्ष में तत्कालीन समय में पट्टा संख्या 370 जारी किया गया है, जिसकी अपील स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा के यहां श्री सत्यनारायण पारीक द्वारा की गयी थी जिसका निर्णय दिनांक 16/01/2013 को प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति द्वारा किया गया है, जिसकी निगरानीकर्त्ता द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 16 दिनांक 21/6/2010 के अनुसरण में नियमानुसार राशि जमा होने पर उक्त पट्टा 370 जारी हुआ है वह नियमानुसार जारी हुआ है। निगरानीकर्त्ता संख्या 01 व 02 की ओर से किसी प्रकार का जवाब पेश नहीं हुआ है ।

17. उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य एवं सूबतों का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं कथनों पर गौर कर मनन किया गया जो पाया कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 157(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 16 के अनुसरण में जरिये रसीद संख्या 2573 दिनांक 11/6/2010 से राशि 3749/– जमा कराथी जाने के उपरान्त दिनांक 21/6/2010 को पट्टा संख्या 370 श्रीमती धोली देवी पत्नी भागीरथ मल यादव के पक्ष में मालिकाना हक का पट्टा जारी किया होना पाया जाता है, जिसका तत्कालीन सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत मनोहरपुर द्वारा पंजियन कार्यालय शाहपुरा में 26/7/2010 को पंजिबद्व कराया जाना प्रमाणित है श्रीमती धोली देवी पत्नी भागीरथमल यादव निवासी मनोहरपुर श्री रामधन गुर्जर पुत्र श्री नानगराम गुर्जर निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा को जरिये विक्रय पत्र कच्चे मकानात् का आवासीय भूखण्ड बेचान किया है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 सत्यनारायण पारीक निवासी इन्द्रा कॉलोनी मनोहरपुर द्वारा धोली देवी के पक्ष में हुआ पट्टा संख्या 370 को निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति शाहपुरा के समक्ष पेश किया जिस पर विकास अधिकारी शाहपुरा द्वारा 15/01/2013 को अपील स्वीकार करने का अंकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 16/01/2013 को मौका रिपोर्ट तैयार की गयी होना पाया गया 16/01/2013 की रिपोर्ट अनुसार 16/01/2013 को ही निगरानीकर्त्ता संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत मनोहरपुर के प्रस्ताव 16 दिनांक 21/6/2010 के द्वारा ग्राम पंचायत मनोहरपुर ने श्रीमती धोली देवी के नाम जारी किया गया पट्टा को खारिज किया गया है। वकील निगरानीकर्त्ता ने प्रस्तुत बहस में कथन किया है कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 157(ख) के अन्तर्गत ग्राम मनोहरपुर के प्रस्ताव संख्या 16 के अनुसरण में श्रीमती धोली देवी को पट्टा संख्या 370 दिनांक 21/6/2010 को जारी हुआ है। प्रस्ताव संख्या 18 बैठक दिनांक 20/4/2010 को कोरम द्वारा पट्टा देने का प्रस्ताव पारित किया था । निगरानीकर्त्ता कच्चे मकानात को आवासीय भूखण्ड श्रीमती धोली देवी से खरीद किया है, जिसकी पंजियन सब रजिस्ट्रार शाहपुरा के यहां कराया गया है। निगरानीकर्त्ता खरीद समय से ही अपने आवासीय कच्चे भूखण्ड पर निवास कर काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। कच्ची दिवारों को हटाकर पक्का निर्माण शुरू किया गया तो गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बिना नोटिस दिये, बिना विधिक प्रकिया अपनाये एक ही दिन में निगरानीकर्त्ता के काबिजशुदा भूखण्ड पटटे को निरस्त कर दिया। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 व ग्राम सचिव द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत निगरानीकर्त्ता को कोई सूचना नहीं दी गयी ना ही निगरानीकर्त्ता के समक्ष 16/01/2013 मौका निरीक्षण किया गया। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा बिना अधिकार के पट्टा निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जिसका कोई सम्बन्ध अधिकार नहीं है। वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 सत्यनारायण पारीद फौत हो चुका इनके वारियानों द्वारा भी इस न्यायालय से जारी सम्मन वास्ते तामील जारी होकर प्राप्त होने पर तामील नोटिसों के अवलोकन करने पर यह अंकित है कि इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही करते हो तो हमे तीन भाईयों को कोई आपत्ति नहीं है। आगे कोई सम्मन नहीं भिजवाया जावें। इससे यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 मृत्क सत्यनारायण के वारिसान् प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहते है।

चूँकि ग्राम पंचायत मनोहरपुर द्वारा उपरोक्त पटट्ा नियमानुसार शुल्क जमा कर पंचायत राज अधिनियम 157(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 16 के अनुसरण में दिनांक 21/6/2010 को जारी होना प्रमाणित है, जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पंजियन कार्यालय शाहपुरा में 26/7/2010 को पंजिबद्व होना पाया जाता है। निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये विक्रय–पत्र से पट्टाशुदा कच्चा आवासीय भूखण्ड दिनांक 07/01/2013 को खरीद किया है गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 मृत्क सत्यनारायण द्वारा उक्त पट्टा को निरस्त कराने बाबत 15/01/2013 को विकास अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया गया केवल प्रशासनिक पत्र पर ही अपील स्वीकार करने का अंकन कर लघु हस्ताक्षर किये गये। दिनांक 16/01/2013 को मौके की मौका रिपोर्ट तैयार की गयी । मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निगरानीकर्त्ता को कोई सूचना नहीं दी गयी ना ही निगरानीकर्त्ता के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी दिनांक 16/01/2013 को ही एक ही दिन में प्रस्ताव संख्या 16 दिनांक 21/6/2010 के द्वारा ग्रा.पं. मनोहरपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 370 खारिज कर दिया। मृत्क गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा बिना अधिकार के पट्टा निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जिसका कोई सम्बन्ध अधिकार नहीं था वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में भी नहीं आता है। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 मृत्क के वारिसान् तामील नोटिसें

पर यह अंकन होकर आया है कि इस प्रकरण में कोई भी कार्यवाही करते हो तो हमे तीनों भाईयों को कोई आपत्ति नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 03 के वारिसान इस प्रकरण में कोई अनुतोष नहीं चाहते है । ऐसी स्थिति में निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय स्थायी समिति प्रशासन व स्थापना पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश 16/01/2013 को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय स्थाई समिति प्रशासन व स्थापना पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा मु.नं. 8 सत्यनारायण पारीक बनाम धोली देवी निर्णय दिनांक 16/01/2013 को अपास्त किया जाकर ग्राम पंचायत मनोहपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 370 दिनांक 21/6/2010 को जारी किया गया है उसे बहाल रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा की मूल पत्रावली भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

19. यह निर्णय आज दिनांक 23.10.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)